

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 245]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 अप्रैल 2010—चैत्र 11, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ. ए-3-6-2010-1-पांच-(44).—यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में बिना पूर्व प्रकाशन के तत्काल किए जाने चाहिए.

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 9 में, उपनियम (2) में, परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी एजेंसियों के मामले में, यदि प्ररूप 5-क में आवेदन क्रय की तारीख से तीन सौ पैंसठ दिन के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, तो आयुक्त ऐसे विलम्ब शुल्क जो वह ठीक समझे, के साथ आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के लिए माफी दे सकेगा.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ. ए-3-6-2010-1-पांच-(44).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ. ए-3-6-2010-1-पांच-(44), भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2010

No. F. A-3-6-2010-1-V-(44).—WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Official Gazette.

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by Sections 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 9, in sub-rule (2), in the proviso, for fullstop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that in case of the United Nations Organisation and its agencies, if the application in Form 5-A is filed after three hundred sixty five days from the date of purchase, the Commissioner may condone the delay in filing the application with such late fee as he may think fit.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. YADAV, Addl.Secy.